



Women Development Corporation, Bihar

(Department of Social Welfare, GoB)



Dr. N. Vijaya Lakshmi

I.A.S.

Managing Director सेवा में,

Ref. No.: 31/2018-19

Date: 05/04/2018

जिला पदाधिकारी,

अररिया / अरवल / औरंगाबाद / बेगूसराय / भागलपुर / भोजपुर(आरा) / बक्सर / पश्चिमी चंपारण / दरभंगा / गया / गोपालगंज / जमुई / जहानाबाद / कैमूर / पूर्वी चंपारण / किशनगंज / मधेपुरा / मधुबनी / मुंगेर / मुजफ्फरपुर / नालंदा / नवादा / पटना / पूर्णिया / रोहतास / सहरसा / सिवान / सीतामढ़ी / शेखपुरा / शिवहर / सुपौल / वैशाली / लखीसराय / कटिहार / बांका / खगड़िया / सारण एवं समस्तीपुर।

विषय:—मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजनान्तर्गत संचालित अल्पावास गृह के संशोधित मार्गदर्शिका उपलब्ध कराने के संबंध में।


महाशय,

आप अवगत है कि 'मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना' के अंतर्गत पीड़ित महिलाओं की सहायता हेतु जिला स्तर पर 'अल्पावास गृह योजना' का संचालन जिला प्रशासन के नियंत्रण में किया जा रहा है।

विगत वर्षों में योजना के संचालन के अनुभव के आधार पर कई नीतिगत बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसी क्रम में योजना के सुचारु संचालन हेतु मार्गदर्शिका में यथोचित संशोधन किया गया है। संशोधित मार्गदर्शिका के अंतर्गत महिला विकास निगम, जिला प्रशासन एवं संचालक संस्था की स्पष्ट भूमिका निरूपित की गई है। संशोधित मार्गदर्शिका 01 अप्रैल 2018 के तिथि से प्रभावी होगी। संशोधित मार्गदर्शिका की प्रति पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। मार्गदर्शिका निगम के वेबसाइट www.wdcbihar.org.in पर भी उपलब्ध है।

अतः अनुरोध है कि संशोधित मार्गदर्शिका के आलोक में अल्पावास गृह का सुचारु सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।

विश्वासभाजन,


(डॉ. एन. विजयलक्ष्मी)
प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक:— संशोधित मार्गदर्शिका की प्रति।